न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

यह निगरानी प्रकरण क्र १०८८-तीन/११, रा मं में अपर आयुक्त रीवा के प्र क्र १५६/अपील/०८-०९ में पारित आदेश दि २४-६-११ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

ग्यादीन तनय श्री छकौडी लाल चौधरी आयु 48 साल,

निवासी ग्राम जाखी थाना नागौद तहसील उचेहरा जिला सतना

वि0

रामकृपाल तनय दशइयां चौधरी आयु 60 साल

निवासी ग्राम जाखी थाना नागौद तहसील उचेहरा जिला सतना

श्री जसराम विश्वकर्मा, आवेदक अधिवक्ता

श्री मोतीलाल सिंह, अनावेदक अधिवक्ता

आदेश दिनांक 29-03-2016

१] यह निगरानी प्रकरण क्र १०८८-तीन/११, रा मं में अपर आयुक्त रीवा के प्र क्र १५६/अपील/०८-०९ में पारित आदेश दि २४-६-११ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

ग्राम जाखी, तहसील नागौद, जिला सतना स्थित कुल ९ किता - २ बीघा, १५ बिस्वा वाद भूमि आवेदक के पिता, और उसके दो चाचाओं के नाम दर्ज अभिलेख है, तथा उत्तरवादी भी आवेदक के एक चाचा हैं. इस भूमि में से आ नं ३५६, जिस पर मकान बना है तथा जिसमें उत्तरवादी के पास १ बीघा, ६ बिस्वा रकबा और आवेदक के पिता छकौडी और दूसरे चाचा अर्जुन के पास ५-५ बिस्वा रकबा है, को लेकर इस प्रकरण में विवाद है. आक्षेपित आदेश में लिख अनुसार उक्त आ नं ३५६ पर दि २१-१२-०५ को उभयपक्ष की उपस्थिति में और सहमति से छकौडी और अर्जुन के हिस्सों को सीमांकित कर चिन्हित किया गया था. दिनांक ५-११-०४ को गैरनिगराकार रामक़पाल के धारा २५० के आवेदन पर तहसील में प्रकरण क्रमांक १/अ70/०४-०५ दायर हुआ, जिसमें दि १४-७-०६ को विवादित स्थल पर तहसीलदार ने स्वयं जाकर उनके हिस्से बताये और दिनांक १९-७-०६ को तत्संबंध में आदेश पारित किया. इसकी अपील आवेदक ने अनु अधि, नागौद के समक्ष की, जहाँ प्र क्र ५२/अपील/०७-०८ से अपील निरस्त हुई. इसके विरुद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील की, जो आक्षेपित आदेश से निरस्त हुई. इसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी प्रस्तुत हुई.

३] मैंने उभय पक्ष को तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया. उत्तरवादी अधिवक्ता ने अपने लिखित तर्क दिए. आवेदक अधिवक्ता ने लिखित तर्क हेतु समय माँगा जो उन्हें

दिया गया, किन्तु उनके लिखित तर्क प्राप्त नहीं हुए, अतः मेमो एवं अभिलेख के आधार पर उनका पक्ष देखा जा रहा है.

आवेदक का कहना है कि २१-१२-०५ को हुए सीमांकन के बावजूद उत्तरवादी द्वारा दि १९-७-०६ को विवादित स्थल का सीमांकन पुनः कराया जाना, वह भी उनके पिता और दूसरे चाचा को बगैर सूचना आदि दिए जबकि वे प्रभावित हितबद्ध पक्षकार थे, अनुचित था.

उत्तरवादी अधिवक्ता ने लिखित तर्क दिया है कि सीमांकन दि २१-१२-०५ (उन्होंने त्रुटिवश उसकी दिनांक २१-१२-१५ अपने लिखित तर्क में लिख दी है, जिसे न्यायहित में टंकण त्रुटि मानते हुए २१-१२-०५ पढ़ा जा रहा है क्यूंकि २१-१२-१५ का कोई दस्तावेज़ या दिनांक का सन्दर्भ इस प्रकरण में नहीं है और यह दिनांक अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के भी बाद की है) उभयपक्ष की उपस्थिति में किया जाकर पत्थर गढ़वाए गए थे जिन्हें आवेदक न उखाड़कर फेंक दिया, जिसके बाद तहसीलदार की उपस्थिति में पुनः जॉच कर सीमा निर्धारित कर आदेश पारित किया गया. उनका पहला तर्क है कि सीमांकन के विरुद्ध निगरानी होनी चाहिए थी, इसलिए आवेदक द्वारा अपील किया जाना गलत था. साथ ही उनका तर्क है कि अपील में तहसीलदार के आदेश को यथावत रखा गया है, तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, और कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि का सीमांकन कराकर उसकी सीमाएं जान सकता है. इन आधारों पर उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की.

४] मैंने तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का परिशीलन किया। इसके आधार पर मैं निम्न बिन्दु इस प्रकरण में प्रमुखता से टीप एवं विचार योग्य पाता हूँ-

1 स्थल पंचनामा दिनांक १४-७-०६ के पूर्व निगराकार को कोई नोटिस जारी और तामील किये जाने का लेख या दस्तावेज प्रकरण में नहीं हैं. इस दिनांक को पंचनामे में तहसीलदार ने यह तो लिखा है कि गयादीन उपस्थित थे, लेकिन गयादीन, छकौड़ी या अर्जुन के हस्ताक्षर पंचनामे पर नहीं हैं.

2 दिनांक २१-१२-०५ के सीमांकन के अनुसार दिनांक १४-७-०६ की कार्यवाही हुई है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई ऐसा स्पष्ट समाधान नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि धारा २५० में तहसील उचेहरा में प्रचलित प्र0क्र0 १/अ-७०/०४-०५ का आदेश दिनांक १९-७-०६ किस अभिलेखीय आधार पर पारित है.

५] अत मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक २४-६-११ के साथ अनु0अधि0 नागौद के प्र0क्र0 ५२/अपील/०७-०८ का आदेश दिनांक २४-१२-०८ और तहसील उचेहरा के प्र0क्र0 १/अ-७०/०४-०५ का आदेश दिनांक १९-७-०६ एतद् द्वारा निरस्त करता हूँ. साथ ही तहसीलदार उचेहरा को यह निर्देश देता हूँ कि वह अपने न्यायालय का प्र0क्र0 १/अ-७०/०४-०५ पुन खोले, और अभिलेखों एवं/अथवा पूर्व के विधिवत पारित सीमांकन आदेश आदि का संदर्भ लेते हुये वेजा कब्जे की स्थिति, उभयपक्ष को नोटिस और पक्ष समर्थन का अवसर आदि देते हुये, नये सिरे से स्पष्ट करने संबंधी बोलते स्वरूप के निष्कर्ष अभिलिखित करेंगा यदि नक्शा तरमीम, सीमांकन आदि पहले विधिवत न हुये हों और पक्षकारों के हिस्सों की जानकारी पहले से स्पष्ट न हो तो पहले उसे विधिवत स्पष्ट करें. यह सब करने के बाद धारा २५० के प्र0क्र0 १/अ-७०/०४-०५ का विधिवत निराकरण करें.

आदेश पारित . पक्षकार और तहसीलदार उचेहरा सूचित हों. अभिलेख वापस हों.

प्रकरण समाप्त . दा0 द0 हो.

29.3.16

आशीष श्रीवास्तव

सदस्य